

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL NEW DELHI

O.A. No. 329/2021

IN THE MATTER OF:

DEVANSHU BOSEAPPLICANT

VERSUS

AGRA DEVELOPMENT AUTHORITY RESPONDENTS

AGRA & OTHER'S

INDEX

Sl.no.	Particulars	Pages
1.	Report on behalf of Respondent No.1 / Agra Development in Compliance of order dated 6.7.2022, passed by this Hon'ble Tribunal.	1-2

Filed By



DATE: 9.11.2022

New Delhi

Mr. Manish Kumar Vikkey
Advocate for Agra Development
Authority / Respondent No.1
Ch. No.410 Block III Delhi
High Court New Delhi
Mobile No.: 9968435537
Email : manishadv.vikkey@yahoo.in

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली
ओ.ए. सं0-329/2021
देवांशु बोस बनाम आगरा विकास प्राधिकरण एवं अन्य

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 06.07.2022 के अनुपालन में आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति :-

1. आदेश के बिन्दु सं0-1 के सम्बन्ध में कहना है कि नालन्दा टाउन कालोनी शमशाबाद रोड के सीवेज ट्रीटमेंट हेतु एस.टी.पी. की स्थापना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। एस.टी.पी. से निकलने वाले ट्रीटेड वाटर को पार्कों में सिंचाई हेतु उपयोग हेतु आवश्यक कार्य करा लिये गये हैं जिससे ट्रीटेड वाटर से प्लान्टेशन तथा पार्क में सिंचाई का कार्य कराया जा सकेगा। वर्तमान में सीवेज का पानी खुली भूमि पर नहीं जा रहा है तथा एस.टी.पी. संचालित है। विकासकर्ता द्वारा अपने पत्र दिनांक 04.11.2022 (संलग्नक-1) द्वारा स्थल के फोटोग्राफ सहित सूचित किया गया है जिसकी पुष्टि कालोनी के निवासियों द्वारा पत्र दिनांक 04.11.22 (संलग्नक-2) द्वारा की गई है। वर्तमान में एस0टी0पी0 का संचालन विकासकर्ता द्वारा कराया जा रहा है। 15 दिन के अन्दर कालोनी के निवासियों द्वारा रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन का गठन करने के उपरान्त विकासकर्ता द्वारा एस0टी0पी0 रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन को हस्तान्तरित किया जाना प्रस्तावित है। हस्तान्तरण के उपरान्त एस0टी0पी0 का नियमित संचालन व रख-रखाव रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा कराया जायेगा। वर्तमान में एस0टी0पी0 से निकलने वाले ट्रीटेड वाटर की जांच राजेश साइंटिफिक लैब, आगरा से करायी गयी है। ट्रीटेड वाटर की जांच उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की प्रयोगशाला से कराये जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सैम्पल भेजा जा रहा है।
2. आदेश के बिन्दु सं0-2 के क्रम में कहना है कि नालन्दा टाउन कालोनी के विकासकर्ता द्वारा एस.टी.पी. के निर्माण की लागत स्वयं वहन की गई है। अतः एस.टी.पी. की स्थापना हेतु नालन्दा टाउन कालोनी के निवासियों से कोई अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की गयी है।
3. आदेश के बिन्दु सं0-3 के सम्बन्ध में कहना है कि नालन्दा टाउन कालोनी के विकासकर्ता द्वारा कालोनी में एस.टी.पी. तथा आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण न करने तथा प्राधिकरण के साथ किये गये अनुबन्ध का उल्लंघन करने जिसमें बिना पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये कालोनी में अध्यासन कराने के कारण उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-33 के अन्तर्गत विकासकर्ता के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करते हुये उसके द्वारा बन्धक रखे गये भूखण्डों के समतुल्य मूल्य की वसूली हेतु आर.सी. दिनांक 22.06.2017 को ही जारी कर दी गई थी, जिसकी वसूली की जा चुकी है। अनुबन्ध का उल्लंघन करने पर विकासकर्ता के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 270 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 23.04.22 को पंजीकृत करायी गयी है।


संयुक्त समिति की आख्या के क्रम में नालन्दा टाउन कालोनी में एस.टी.पी. की स्थापना का कार्य विकासकर्ता द्वारा पूर्ण किया जा चुका है। वर्तमान में नालन्दा टाउन कालोनी के सीवेज का ट्रीटमेंट एस.टी.पी. के माध्यम से किया जा रहा है। एस.टी.पी. की स्थापना से पूर्व में संयुक्त समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा नालन्दा टाउन कालोनी के गेट के बाहर रिक्त भूमि पर एकत्रित सीवेज युक्त जल को प्रदेश में जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता की समाप्ति के तुरन्त बाद शीघ्र कार्यवाही करते हुये टैंकों के माध्यम से दिनांक 22.04.22 को आरम्भ कर दिनांक 10.05.22 तक सीवेजयुक्त जल को स्थल से पूर्ण रूप से हटाते हुये धांधपुरा स्थित संचालित एस.टी.पी. में निस्तारित कर दिया गया था, जिसका उल्लेख दिनांक 05.07.22 को प्रेषित एक्शन टेकन रिपोर्ट में किया जा चुका है। विकासकर्ता द्वारा सीवेजयुक्त जल खुले में बहाने के कारण पर्यावरण को हुई हानि के कारण उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा रू0 2,13,98,438.00 का अर्थदण्ड विकासकर्ता पर आरोपित किया गया है। आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश तथा गठित संयुक्त समिति के निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन कर लिया गया है।

4. आदेश के बिन्दु सं0-4 के सम्बन्ध में कहना है कि प्राधिकरण द्वारा मा0 एन.जी.टी. के आदेशों के क्रम में दिनांक 05.07.22 को अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुये एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रेषित कर दी गयी थी।
5. आदेश के बिन्दु सं0-5 के अन्तर्गत मा0 एन.जी.टी. द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 24.03.22 के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा प्रेषित एक्शन टेकन रिपोर्ट दिनांक 05.07.22 का उल्लेख किया गया है, जिस पर कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।
6. आदेश के बिन्दु सं0-6 के सम्बन्ध में कहना है कि तत्समय एस.टी.पी. की व्यवस्था न होने के कारण स्थल पर एकत्रित सीवेजयुक्त जल को प्राधिकरण द्वारा टैंकों के माध्यम से दिनांक 22.04.22 से दिनांक 10.05.22 तक हटाते हुये स्थल से साफ करा दिया गया था। जहां तक नालन्दा टाउन कालोनी के एस.टी.पी. के अनुरक्षण का प्रश्न है संचालित एस.टी.पी. के रख-रखाव व संचालन का उत्तरदायित्व नालन्दा टाउन कालोनी के आर.डब्लू.ए./निवासियों द्वारा ही किया जाना है।
8. आदेश के बिन्दु-8 के सम्बन्ध में कहना है कि तत्समय नालन्दा टाउन कालोनी में एस.टी.पी. की व्यवस्था न होने के कारण टैंकों के माध्यम से सीवेज अन्य एस.टी.पी. के माध्यम से निस्तारित किया गया था। एस.टी.पी. के निर्माणाधीन होने के दौरान भी कालोनी के गेट के बाहर सड़क पर बहने वाले सीवेजयुक्त जल को भी प्राधिकरण द्वारा टैंकों के माध्यम से लगातार ताजनगरी योजना फेस-2 की सीवर लाइन में डालते हुये धांधुपुरा एस.टी.पी. में निस्तारित किया जाता रहा है। वर्तमान में नालन्दा टाउन कालोनी में एस.टी.पी. की स्थापना की जा चुकी है तथा नालन्दा टाउन कालोनी के सीवेज का निस्तारण एस.टी.पी. के माध्यम से किया जा रहा है।
- 7, 9, 10, 12- आदेश के इन बिन्दुओं के सम्बन्ध में कहना है कि वर्तमान में नालन्दा टाउन कालोनी के सीवेज का निस्तारण एस.टी.पी. के माध्यम से किया जा रहा है। सीवेजयुक्त जल खुली भूमि पर नहीं जा रहा है। एस.टी.पी. से निकलने वाले ट्रीटेड वाटर का उपयोग कालोनी में स्थित पार्को की सिंचाई आदि में किया जा रहा है। सिंचाई आदि से बचे हुये ट्रीटेड वाटर के निस्तारण हेतु नालन्दा टाउन कालोनी व आस पास के क्षेत्र में जल निकासी हेतु नालियों के निर्माण हेतु जल निगम यूनिट-35, आगरा द्वारा पूर्व में लगभग 500 हैक्टेयर क्षेत्रफल के अन्तर्गत प्रोजेक्ट रू0 206.05 करोड़ का तैयार किया गया था। वर्तमान में उक्त क्षेत्र में से लगभग 150 हैक्टे0 क्षेत्र नगर निगम सीमा के अन्तर्गत सम्मिलित हो गया है। अवशेष लगभग 350 हैक्टे0 क्षेत्रफल के अन्तर्गत जल निकासी हेतु संशोधित प्रोजेक्ट तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है। प्रश्नगत क्षेत्र में 06 कॉलोनियों के अन्तर्गत एस0टी0पी0 स्थापित/संचालित किया जा चुका है। 04 कॉलोनियों में एस0टी0पी0 तथा अन्य समस्त कार्य पूर्ण हो जाने पर पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। शेष कॉलोनियों में पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु विकासकर्ताओं को कड़े निर्देश दिये गये है।

महाप्रबन्धक गंगाजल परियोजना ईकाई, उ0प्र0 जल निगम नगरीय आगरा द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में आगरा नगरीय क्षेत्र में 09 एस0टी0पी0 220.75 एम.एल.डी. क्षमता के कार्य कर रहे है जबकि सीवेज का जेनरेशन 286 एम.एल.डी. है। उ0प्र0 शासन द्वारा नवामी गंगे योजना के अन्तर्गत 03 एस.टी.पी. एवं 10 डी.एस.टी.पी. का निर्माण प्रगति में है जिनकी कॅपेसिटी 177.60 एम.एल.डी. स्वीकृत की गयी है। इस प्रकार उक्त कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सीवेज के निस्तारण हेतु कॅपेसिटी बढ़ जायेगी, जो कि 398.35 एम.एल.डी. हो जायेगी, जबकि सीवेज जेनरेशन 286 एल.एल.डी. आंका गया है।



प्र0सहा0अभि0(भवन)


सहा0अभि0(खण्ड-2)


नगर नियोजक


अधि0अभि0(खण्ड-2)


मुख्य नगर नियोजक


मुख्य अभियन्ता